फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत : जिला कलक्टर मुकाम : बांसवाड़ा

थानाधिकारी, पुलिस थाना दानपुर	बनाम	ट्रक चालक, एम.पी.09 एच.एच 7560

धारा, 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995

मु. नं. : 22/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24–08–2021	थानाधिकारी, पुलिस थाना दानपुर ने रिपोर्ट की है कि दिनांक 06–08–2021 को श्री रणजीत सिंह सउनि. ने लिखित रिर्पोट इस आशय की पेश की कि दौराने गश्त सूचना पर कि दानपुर में पुलिया पर एक चालक ट्रक को बीच सडक पर छोड कर भाग गया है। मय जाप्ता मौके पर पहुचने पर एक ट्रक नं. एम.पी.09 एच.एच 7560 जो बॉसवाडा से रतलाम जाने वाले रोड पर बीच पुलिया पर खडा था। जिस पर तिरपाल ढका था। तिरपाल हटाने पर दो पार्टेशन में ट्रक के अन्दर 58 गोवंश चारो पैर बांधकर एक दुसरे के उपर निर्दयता पूर्वक भरे हुए थे। जिसमे 2 बछडे/बैल मृत अवस्था में तथा बाकी गम्भीर रुप से घायल थे। ड्राईवर की आस पास तलाश की गई की गई परन्तु वह नही मिला। ट्रक में चारे, पानी, हवा की कोई व्यवस्था नही थी। घायल गौवंश का मेडिकल कराया गया। मृत गौवंश का पोस्ट मॉर्टम करवाया गया जिसके पश्चात् दफनाया गया। रिर्पोट अनुसार 58 गौवंश बछडो/बैलो को निर्दयता पूर्वक बांध कर बुजडखाने/कत्लखाने ले जाने आशंका जाहिर की है। ट्रक में पाये गये 58 गौवंश के सम्बन्ध में प्रकरण सं. 123/2021 धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995, एवं धारा 11(3)(घ) पशुओ के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। थानाधिकारी ने प्रकरण में जप्त 56 गौवंश (बछडे) को प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा (पंजीयन क्रमांक 10/63–64 एवं 115/94) को सुपुर्द करने निवेदन किया है। अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत जब्तशुदा 56 गौवंश (बछडे) की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी [illegible] बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा जिसका पंजीयन क्रमांक 10/63–64 एवं 115/94 है की होगी। जब्तशुदा गोवंश की वीडियोग्राफी सुपुर्दगी के समय की जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा (पंजीयन क्रमांक 10/63–64 एवं 115/94) बाध्य होगा। तहरीर जारी होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (अंकित कुमार सिंह) जिला कलक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:01 IST
Reason: SelfAttested